न्यायालय नायबतहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
शिमला मीणा (आरटीएस)

मि.न.30/2020

दिनांक 30.7.2020

सरकार बनाम बनवारी वगैरा

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भालोजी ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम दादूका तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1113/0.15 है0 किस्म गै0मु0 नाला मेंसे 0.10 है0पर बनवारी,सीताराम पुत्र प्रभुराम जाति खाति निवासी दादुका ने बाजरा की फसल कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान मेसे बनवारी उपस्थित आया तथा सीताराम अनुउपस्थित रहा अतः सीताराम के विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही की जाती हैं। गैंरसायल बनवारी को वास्ते जवाब अवसर दिये जाने पर भी कोई जवाब पेश नहीं किया ना ही कोई ऐसा दस्तावेज पेश किया जिसके आधार पर गैर सायल को अनुतोष दिया जा सकें। हमने पटवरी रिर्पोट एवं पत्रावली में सग्लन दस्तावेजो पर गौर किया तो विवेचन पर पाया कि गैर सायलान द्वारा उक्तआराजियात अतिक्रमण सिद्व होता हैं। जबकि खसरा नंबर 1113 /0.15 है0 वाके ग्राम दादूका की किस्म गै0 मु0 नाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो बहाव क्षेत्र है। जिस पर अतिक्रमण कर पानी के बहाब को अवरूद्व करना है जिसमे माननीय उच्च न्यायालय राज0 द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीटीसन न.1536/2013 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में निर्णय दिनांक 2.8.2004 में गै0मु0 नदी0 ,तालाब, जोहड,भराव,बहाव क्षेत्र की 1947की स्थिति कायम रखने के आदेश प्राप्त हैं। अतः अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैर सायलान बनवारी,सीताराम पुत्र प्रभुराम निवासी दादूका तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम दादूका तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1113/0.15है0,किस्म

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

जमीन गै0मु0 नाला मे से 0.10है0 पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजीयात पर बोई गई बाजरे की फसल को निलाम किया जाकर भौतिक रूप से बैदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी .0.10रू. का पचास गुणा 10रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते बेदखली,फसल निलामी के आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 30.7.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

वर्ष 2021 0.......... के रा० लै० 4
के पृष्ठ संख्या 14 पर 10
रुपये कायम किये गये ।

राजस्व लिपिक
कोटपूतली